## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को समर्पित करने के लिए तैयार की गई है।

राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के उद्देश्य से 2014-15 से 2019-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए 2019-20 में झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा निर्देशिका तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमों के अनुरूप तैयार की गई है।